प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,** उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड ई./2019—20/16/9126-2 दिनांक 3-02-2020

विषयः— चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की दिनांक 24.01.2020 को आहूत वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 24 जनवरी 2020 को प्रदेश के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यकमों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या प्रमुख सचिव, महानिदेशालय एवं मिशन निदेशक कार्यालय को 07 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—अनुमोदित कार्यवृत्त।

भवदीया,

(जसजीत कौर)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड ई./2019—20/16/ तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सांची, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
8. वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
10. वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. उत्तर प्रदेश।
12. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनामिका मिश्रा)
महाप्रबन्धक, एम0 एण्ड ई0

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,** उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड ई./2019–20/16/ दिनांकः 03-02-2020

विषयः– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की दिनांक 24.01.2020 को आहूत वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 24 जनवरी 2020 को प्रदेश के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या प्रमुख सचिव, महानिदेशालय एवं मिशन निदेशक कार्यालय को 07 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–अनुमोदित कार्यवृत्त।

भवदीया,

/

(जसजीत कौर)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड ई./2019–20/16/ 9126-2(12) तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सांची, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
8. वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
10. वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. उत्तर प्रदेश।
12. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनामिका मिश्रा)
महाप्रबन्धक, एम0 एण्ड ई0

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनॉक 24 जनवरी 2020 का कार्यवृत्त

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 24 जनवरी 2020 को प्रदेश के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में मिशन निदेशक–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी–सांची, महानिदेशक–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, महानिदेशक–परिवार कल्याण तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्य अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। मण्डल/जनपद स्तर से समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद स्तरीय अन्य अधिकारियों एवं प्रबंधकों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

गंगा यात्रा–

1. गंगा यात्रा की तैयारियों के क्रम में निर्देशित किया गया कि कार्ययोजना के अनुसार पूर्ण व्यवस्था के साथ सम्बन्धित जनपदों में कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
2. आयोजित किये जा रहे स्वास्थ्य शिविरों में पर्याप्त आई0ई0सी0 की उपलब्धता सुनिश्चित करें जिससे आम जनमानस में जागरूकता का संचार किया जा सके तथा योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से जाने वाली नुक्कड़ नाटक की टीमों का भी समुचित प्रयोग सुनिश्चित करें।
3. गंगा यात्रा से सम्बन्धित ग्रामों में प्रचार–प्रसार हेतु पोस्टर एवं होर्डिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित ग्रामों में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के विषय में भी विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार करायें।
4. यात्रा के दौरान आयोजित किये जाने वाले स्वास्थ्य शिविरों में चिकित्सकों, पैरामेडिकल एवं अन्य कर्मियों की यूनीफार्म एवं नेम प्लेट के साथ उपलब्धता सुनिश्चित करें।
5. स्वास्थ्य शिविरों में आवश्यक औषधियों एवं जांचों की उपलब्धता, सन्दर्भन तथा उपचार की सुविधा भी सुनिश्चित करें।
6. यात्रा के दौरान आयोजित किये जाने वाले कैम्पों में आयुष्मान भारत–जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत मुख्य अतिथि के द्वारा कार्ड वितरण कराना सुनिश्चित करें।
7. निर्देशित किया गया कि आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत उपचार प्राप्त किये हुये लाभार्थियों को भी शिविर में आमंत्रित किया जा सकता है तथा उनके अनुभव से मुख्य अतिथि को अवगत कराया जा सकता है।
8. यात्रा के दौरान आयोजित किये जाने वाले स्वास्थ्य शिविरों की एक फोटो AD-CMO Whatsapp Group में अवश्य शेयर करें। शेयर करते समय फोटो के साथ स्थान, जनपद एवं दिनांक अवश्य अंकित करें।

मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला–

9. महानिदेशक–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक जनपद हेतु अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक को नामित करना सुनिश्चित करें।
10. दिनांक 02 फरवरी 2020 को सभी नामित अधिकारी अपने आवंटित जनपद में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के शुभारम्भ समारोह में सहभागिता करना सुनिश्चित करें।

आयुष्मान भारत– जन आरोग्य योजना–

11. योजना के अर्न्तगत चिन्हित ऐसे 37 लाख परिवार जिनका सत्यापन ए0डी0सी0डी0 में नही हो सका था, उनके पुनः सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। आज पोर्टल खुल जायेगा, उपलब्ध सूचना के अनुसार पोर्टल पर सूचना अपलोड करना सुनिश्चित करें।
12. निर्देशित किया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को योजना के अर्न्तगत क्रियाशील कराना सुनिश्चित करें तथा लाभार्थियों का उपचार भी सुनिश्चित करें।
13. जनपद गाजीपुर एवं बलिया में डी0आई0यू0 टीम को गत 04 माह का मानदेय नहीं दिया गया है। निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह में मानदेय भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

अन्य बिन्दु–

14. अवगत कराया गया कि मिशन इन्द्रधनुष 2.0 अभियान के द्वितीय चरण के अर्न्तगत जनपदों की उपलब्धि खराब रही है। संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि अभियान की गहन समीक्षा करते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें। साथ ही अभियान के आगामी चरण (03 फरवरी) में गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।
15. निर्देशित किया गया कि मिशन इन्द्रधनुष 2.0 अभियान की सफलता हेतु धर्म गुरूओं के साथ बैठक करना सुनिश्चित करें, जिससे अभियान की रूकावटों को दूर किया जा सके।
16. समस्त मण्डलीय अपर निदेशकों को निर्देशित किया गया कि समस्त गतिविधियों का गहन अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें तथा इस कार्य में मण्डल स्तर के संयुक्त निदेशकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित करें।

अन्त में निर्देशित किया गया कि उपरोक्त समस्त निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करायें।